कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी

प्रलिम्सि के लयि:

पर्यावरण प्रभाव आकलन, पर्यावरण मंज़ूरी।

मेन्स के लयि:

कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी और संबंधति चतिाएँ।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार कार्योत्तर (शुरू होने के बाद) पर्यावरण मंज़ूरी (Environmental Clearances-**EC**) स्वीकार्य है।

- न्यायालय ने एक दावे के जवाब में नरि्णय दयिा है कि **जैव-चकित्सिा उपचार सुवधि** पर्यावरण मंज़ूरी के बनिा स्थापति और चलाई गई थी तथा यह पर्यावरण में गरिावट पर चतिा पैदा करती है।

एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंज़ूरी (Ex Post Facto Environmental Clearance):

- कार्योत्तर पर्यावरणीय मंज़ूरी का तात्पर्य कसिी ऐसे उद्योग या **परयिोजना के कामकाज़ की अनुमति देना है, जसिने हरति मंज़ूरी प्राप्त कयि बनिा और परयिोजना के संभावति पर्यावरणीय प्रभावों** का खुलासा कयि बनिा काम करना शुरू कर दयिा है।
- सर्वोच्च न्यायालय की एक बेंच ने पाया कि [पर्यावरण (संरक्षण) अधनियिम, 1986,](#) एक्स पोस्ट फैक्टो पर्यावरणीय मंज़ूरी को पूरी तरह से प्रतबिंधति नहीं करता है।
  - इसे नयिमति रूप से नहीं दयिा जाना चाहयि, लेकनि **असाधारण परस्थितियिों** में सभी प्रासंगकि पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए मंज़ूरी दी जा सकती है।

संबंधति चतिाएँ:

- कार्योत्तर मूल्यांकन [पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)](#) के मूल उद्देश्य को वफिल कर देता है क्योंकि संचालन शुरू होने के साथ ही पारस्थितिकि क्षति पहले ही हो चुकी होगी।
  - संयुक्त राष्ट्र का [खाद्य और कृषि संगठन (FAO)](#) EIA के उद्देश्य को नरि्णय नरि्माताओं, नयिामक एजेंसयिों एवं परयिोजनाओं के पर्यावरणीय परणिामों के बारे में जनता को सचेत करने के रूप में परभिाषति करता है "ताकि उन परयिोजनाओं को संशोधति कयि जा सके, यदि आवश्यक हो तो पर्यावरणीय गरिावट, नरि्माण त्रुटयिों से बचने और नकारात्मक दुष्प्रभावों से होने वाले आर्थकि नुकसान को रोका जा सके।
- उद्योगों को मंज़ूरी के बाधा रहति परचिालन के लयि प्रोत्साहति करने और अंततः जुर्माने की राशि का भुगतान करके वनियिमति कयि जाने से, इसके उल्लंघनों के बढ़ने एवं ऐसी स्थति उत्पन्न होने की संभावना है, जहाँ पर्यावरण को होने वाली क्षति अपरविर्तनीय होगी।

पर्यावरण प्रभाव आकलन:

- इसे पर्यावरण पर प्रस्तावति **गतविधि/परयिोजना के प्रभाव की भवष्यिवाणी** के लयि अध्ययन के रूप में परभिाषति कयि जा सकता है।
- यह कुछ परयिोजनाओं के लयि [पर्यावरण संरक्षण अधनियिम, 1986](#) के तहत वैधानकि है।
- **प्रक्रयिा:**
  - नविश के पैमाने, वकिास के प्रकार और वकिास के स्थान के आधार पर स्क्रीनगि यह देखने के लयि की जाती है कि कसिी परयिोजना को **वैधानकि अधसिूचनाओं के अनुसार पर्यावरण मंज़ूरी की आवश्यकता है या नहीं।**
  - स्कोपगि EIA के **संदर्भ की शर्तों (Terms of Reference -ToR) का ववरिण** देने की एक प्रक्रयिा है, जो कसिी **परयिोजना के वकिास में मुख्य मुद्दे या समस्याएँ** हैं।

- संभावित प्रभाव में परियोजना के महत्त्वपूर्ण पहलुओं और इसके विकल्पों के **पर्यावरणीय परिणामों का मानचित्रण** शामिल है।
- EIA रिपोर्ट के पूरा होने के बाद प्रस्तावित विकास पर जनता को अनिवार्य रूप से सूचित और परामर्श प्रदान करने की आवश्यकता है।

पर्यावरण मंज़ूरी प्रक्रिया:

- **किसी परियोजना के लिये पर्यावरण मंज़ूरी (EC)** प्राप्त करने के लिये एक EIA रिपोर्ट तैयार की जाती है।
- राज्य नियामकों द्वारा 'स्थापना के लिये सहमति **(NOC)' जारी करने से पूर्व 'जन सुनवाई' की प्रक्रिया** आयोजित की जाती है। प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चिंताओं पर विचार किया जाता है।
- EIA रिपोर्ट के साथ एक आवेदन पत्र जन सुनवाई एवं NOC के विवरण के साथ **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC)** के समक्ष पर्यावरण मंज़ूरी के लिये प्रस्तुत किया जाता है एवं यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई परियोजना परियोजना A श्रेणी अथवा राज्य सरकार के अंतर्गत आती है या वह परियोजना परियोजना **B श्रेणी** के अंतर्गत आती है।
  - **श्रेणी ए परियोजनाओं** को **अनिवार्य रूप से पर्यावरणीय मंज़ूरी** की आवश्यकता होती है और इस प्रकार वे स्क्रीनिंग प्रक्रिया से नहीं गुज़रते हैं।
  - **श्रेणी बी परियोजनाएँ** एक **स्क्रीनिंग प्रक्रिया से गुज़रती** हैं और उन्हें दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है।
    - **श्रेणी B1** परियोजनाएँ (EIA अनिवार्य रूप से आवश्यक).
    - **श्रेणी B2** परियोजनाएँ (EIAआवश्यक नहीं होता).
- तत्पश्चात् प्रस्तुत दस्तावेजों का **विश्लेषण मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC)** द्वारा किया जाता है। समिति की सिफारिशों को अंतिम अनुमोदन या अस्वीकृति के लिये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में प्रसंस्कृत किया जाता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (पीवाईक्यू)

??????????

प्रश्न निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

1. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 भारत सरकार को यह अधिकार देता है कि
2. पर्यावरण संरक्षण प्रक्रियाओं में जनभागीदारी की आवश्यकता और इसे प्राप्त करने की प्रक्रियाओं एवं विधियों का उल्लेख करना
3. विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषकों के उत्सर्जन या निर्वहन के लिये मानक निर्धारित करना

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

?????:

सरकार द्वारा किसी परियोजना को मंज़ूरी दिये जाने से पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन तेज़ी से किये जाते हैं। कोयला पटिहेड्स पर स्थित कोयले से चलने वाले थर्मल संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (2014)

प्रश्न. पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2020 का मसौदा मौजूदा EIA अधिसूचना, 2006 से कैसे भिन्न है? (2020)

स्रोत: डाउन टू अर्थ

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/post-facto-environmental-clearances